सहारा संचित - जीवन बीमा

UIN-127L024V01

(एक यूनिट-लिंक्ड योजना)

इस पालिसी में निवेश पक्ष के अंतर्गत निवेश जोखिम बीमाधारक द्वारा वहन किया जाता है।

(विश्व के विशालतम् परिवार में स्वागत है)

सहारा इण्डिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं, इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, कॅमोडिटी सेल्स-सेवाओं और रिटेल श्रंखला के साथ, निमार्ण, सूचना प्राधौगिकी आदि में कार्यरत हैं।

कंपनी-

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा ''सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण, शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना-

देश में आर्थिक बाजार इस समय अत्यन्त उत्साहित स्थिति में है तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था में आगामी कुछ वर्षों में तीव्र गति से वृद्धि होने की सम्भावना है। हम चाहते हैं कि बीमार्थी इस उत्साहित स्थिति के अंग बने तथा पूँजी बाजार से वे प्रत्येक्ष रूप से लाभान्वित हों।

यूनिट लिंक्ड बीमा योजना इक्वटी (शेयर मार्केट) से सम्बद्धित होने के कारण अद्वितीय एवं व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने वाली है। इस योजना को समस्त उद्देश्य ध्यान में रख कर बनाया गया है। जिससे बीमार्थी अधिक से अधिक लाभान्वित हों। यूनिट सम्बद्धित योजना भविष्य में बचत के मूल्य में वृद्धि करती है, ग्राहकों को निवेश योजना में कोष विकल्प जोखिम वृत्ति-नुसार तथा निवेश के भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर पॉलिसी अवधि अन्तराल में चयन का अवसर प्रदान करती है।

योजना-विवरण-

प्रवेश के समय न्यूनतम आयु	18 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
प्रवेश के समय अधिकतम आयु	65 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
पॉलिसी अवधि	5 वर्ष से 10 वर्ष
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम योजना
अधिकतम पूर्णावधि आयु	75 वर्ष (निकटतम जन्मतिथि)
न्यूनतम प्रीमियम	₹ 30,000 टॉप अप उपलब्ध नहीं है
अधिकतम प्रीमियम	असीमित बीमांकन-नुसार
बीमाधन	प्रवेश के समय आयु (निकटतम जन्मतिथि) — बीमाधन 45 वर्ष तक - एकल प्रीमियम का 125% 46 वर्ष तथा अधिक - एकल प्रीमियम का 110%

कोष विकल्प :

इस योजना में प्रत्येक कोष में सम्पत्ति आवंटन सीमा सहित निम्नलिखित कोष विकल्प उपलब्ध है।

कोष-निवेश विकल्प	अंश (इक्विटी)	ऋण (डैट)	रोकड (कैश)	जोखिम प्रवृत्ति
सुरक्षित कोष	नहीं	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	कम
संतुलित कोष	अधिकतम 40%	न्यूनतम 40%	अधिकतम 20%	मध्यम
स्मार्ट कोष	न्यूनतम 40%	न्यूनतम 20%	अधिकतम 40%	अधिक
विकास कोष	न्यूनतम 80%	अधिकतम 20%	अधिकतम 20%	अधिक
प्राइमा कोष	न्यूनतम 85%	अधिकतम 15%	अधिकतम 15%	अधिक

एकल प्रीमियम प्रारम्भ में कोई भी पाँचों कोषों में से एक कोष चयन करने का विकल्प है।

किसी भी समय बीमाधारक के पास एक कोष रह सकता है।

निवेश उद्देश्य-

सुरक्षित कोष- इस कोष का उद्देश्य उच्च गुणात्मक निश्चित आय वाली प्रतिभूतियों में निवेश कर आय में वृद्धि करना है।

संतुलित कोष- इस कोष का उद्देश्य अवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभवापसी में सामंजस्य रखकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में अधिक जोखिम समायोजित वापसी करना है।

स्मार्ट कोष- इस कोष का उद्देश्य सुअवसरों का लाभ उठाकर ऋण तथा शेयर बाजार में जोखिम तथा लाभ वापसी में संतृलन बनाकर निवेश करना तथा लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित वापसी करना है।

विकास कोष- इस कोष का प्राथमिक निवेश उद्देश्य शेयर एवं शेयर सम्बनधी प्रतिभूतियों में शोध-आधार पर निवेश कर लम्बी अवधि की वृद्धि प्राप्त करना।

प्राइमा कोष- मौलिक रूप से सुदृढ़ ब्लू चिप तथा उच्च कैप कंपनियों में कुशलपूर्वक विधि इक्वटी पक्ष में निवेश कर लम्बी अवधि में उत्तम जोखिम समायोजित प्राप्त करना है। इसके साथ-साथ पूँजी बाजार के अचानक उतार चढ़ाव को ध्यान में रख कर पूँजी बाजार में अल्प अवधि में निवेश करना है।

विभिन्न कोष में निवेश के लिये प्रयोग आने वाले दस्तावेजः-

इक्विटी- भारतीय शेयर बाजार में शेयर तथा इक्विटी संबंधित दस्तावेजों में उन कंपनियों में निवेश जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है तथा जिन कंपनियों में निवेश करना है उनकी आर्थिक स्थिति का विश्लेषण तथा भली-भांति शोध एवं विशलेषण कर निवेश किया जायेगा।

ऋण- ऋण दस्तावेजों के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण, ऑयल बाण्ड, पी.एस.यू. (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) बाण्ड तथा कारपोरेट बाण्ड सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त जमा का प्रमाण पत्र, व्यापारिक प्रपत्र तथा अपरिवर्तित ऋण पत्र (डिवेंचर) जो अधिक गुणात्मक दर पर हो तथा निवेश दस्तावेज की अवधि आवश्यकतानुसार तय की जा सकती है।

कैश (रोकड)- इरडा के निवेश नियमों में जो पूँजी बाजार के दस्तावेज प्रपत्र दर्शाये गये हैं उन्हीं में कैश (रोकड़) अवयव निवेश किया जायेगा।

लाभदायक उद्देश्य के लिये निवेश का स्थाई मापदण्ड (बेन्चमार्क)

- CRISIL, ST BOND INDEX – Debt.
- S&PCNX NIFTY - Equity

विकल्प में परिवर्तन :- बीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अवधि में सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कोष-निवेश परिवर्तन - रू0 100/- प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरस्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

पालिसी के अंतर्गत लाभः-

- **पूर्णावधि पर -** पूर्णावधि तिथि तक यदि बीमार्थी जीवित है - कोष मूल्य
- **मृत्यु पर -** यदि समस्त प्रीमियम भुगतान कर दिये गये है तथा पॉलिसी चालू अवस्था में है।

बीमार्थी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने की तिथि पर मृत्यु लाभ देय है। मृत्यु लाभ बीमाधन से आंशिक आहरण, जो मृत्यु तिथि पूर्व दो वर्ष के अंतर्गत, यदि कोई है, घटाकर तथा मृत्यु सूचना प्राप्त होने की तिथि पर पॉलिसी कोष मूल्य, जो अधिक है, देय है

- **अभ्यर्पणमूल्य -** पॉलसी कभी भी पालसी अवधि में अभ्यर्पित की जा सकती है लेकिन अभ्यपर्ण मूल्य पॉलसी की प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष पश्चात् ही देय है तथा पॉलिसी संविदा, पॉलिसी के अभ्यपर्ण पर, निरस्त हो जायेगा।

यदि पालसी का अभ्यपर्ण पॉलसी प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के अंतर्गत होता है। तो कोष को अभ्यपर्ण तिथि पर पृथक-कृत कोष में हस्तातंरित कर दिया जायेगा तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पालसी के 5 वर्ष तक अर्जित करेगी। संग्रहित किया हुआ कोष बीमाधारक को पाँचवे पालसी वर्ष के अंत में देय है। यदि बीमार्थी की मृत्यु पॉलिसी की अभ्यपर्ण दिनांक के पश्चात् होती है, मृत्यु लाभ बीमार्थी की मृत्यु की सूचना तिथि पर देय होंगे। मृत्यु लाभ, पॉलिसी के पृथक कृत कोष में विद्यमान कोष रकम मृत्यु सूचना तिथि को अभ्यपर्ण मूल्य तथा 3.5 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि की दर से मृत्यु तिथि की सूचना तक देय है।

प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष के पश्चात् - अभ्यपर्ण तिथि पर कोष मूल्य

- **आंशिक आहरण निम्नलिखित अहर्त्ताओं में मान्य है-**

1. आशिंक आहरण, प्रारम्भ तिथि से 5 वर्ष पश्चात् देय हैं
2. अधिकतम आशिंक आहरण कोष मूल्य का 50 प्रतिशत देय है बशर्ते आशिंक आहरण के पश्चात् न्यूनतम ₹ 30,000/- अवशेष होना चाहिए। न्यूनतम आंशिक आहरण रू. 2500/- है।
3. दो आंशिक आहरण के मध्य न्यूनतम 1 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है।
4. आशिंक आहरण पर कोई शूल्क देय नहीं है।

- **ऋण-** ऋण योजना में उपलब्ध नहीं है।
- **प्रीमियम भुगतान विधि निम्नलिखित है-**

1. एकल प्रीमियम

पॉलिसी की पृथककृत तिथि क्या है?

बीमार्थी/बीमाधारक से, कंपनी जिस तिथि को, अभ्यपर्ण के लिये सूचना प्राप्त करती है, वही तिथि पॉलिसी पृथक होने की तिथि है।

- **शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (एन.ए.वी.) गणना करने की विधि :-**

कोष के यूनिट मूल्य को सम्पत्ति के मूल्य से मूल्यांकन के समय (दिवस के समापन पर) यूनिट की संख्या से भागित कर गणना की जायगी। यूनिट का आवंटन, यूनिट मूल्य आधार पर दिवस की समाप्ति (शुद्ध सम्पत्ति मूल्य), रोकड़ (कैश)/स्थानीय चैक/धना देश जिस दिन हमारे खाते में श्रेय प्राप्त होगा चाहे, प्रत्यक्ष डैबिट तथा वाहय चैक की उगाही अथवा पॉलिसी जारी होना, जो बाद में घटित होगा उस तिथि को होगा।

शु0स0मू0 (एन.ए.वी.) प्रत्येक कोष की दैनिक आधार पर दिन के अंतिम समय में गणना की जायेगी । कंपनी एन.ए.वी. की गणना, दिन प्रतिदिन के कार्य सम्पादन यूनिट आवंटन तथा पुनः क्रय संम्बंधी जिसमें कंपनी द्वारा दिन प्रतिदिन कार्य सम्पादन में सम्पत्ति का क्रय/विक्रय किया जाना सम्मिलित है, स्वायत्तीकरण अथवा सम्पत्ति-हरण आधार पर कर सकती है परिणाम स्वरूप मूल्य को रू. 0.0001 तक नजदीक किया जायेगा शु0स0मू0 (स्वायत्ती-करण/सम्पत्ति-हरण आधार) की गणना निम्न प्रकार की जायेगी।

	कोष-निवेश का बाजार/उचित मूल्य (+) सम्पत्ति क्रय करने में हुए व्यय (+) वर्तमान सम्पत्ति, यदि कोई है, का मूल्य (+) कोष प्रबन्धकीय व्यय में कोई प्राप्त आय (-) वर्तमान दायित्व, यदि कोई है, (प्राविधान को घटाकर) का
मूल्य शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (स्वायत्ती करण-मूल्य)	-- मूल्यांकन तिथि को (नई यूनिट आवंटन करने से पूर्व) विद्यमान यूनिटों की संख्या
	बाजार/कोष-निवेश का उचित मूल्य (-) सम्पत्ति विक्रय करने में हुए व्यय (+) वर्तमान सम्पत्ति, यदि कोई है, का मूल्य (+) कोष प्रबन्धकीय व्यय शुल्क में प्राप्त आय (-) वर्तमान दायित्व, यदि कोई (प्राविधान को घटाकर) का मूल्य
शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (सम्पत्ति-हरण मूल्य)	-- मूल्यांकन तिथि (यूनिट पुनः क्रय से पूर्व) को विद्यमान यूनिट की संख्या।

यूनिट कोष का आवंटन-

निम्न दर्शायी दरों के अनुसार आवंटित रकम पालिसी-कोष में निवेश की जायेगी।

एकल प्रीमियम का 97%

योजना के अंतर्गत शुल्क-

1. प्रीमियम आवंटन शुल्क-

प्रीमियम के अंतर्गत आवंटन शुल्क निम्नवत है :-

वर्ष	प्रीमियम का प्रतिशत
प्रथम वर्ष	3%
द्वितीय एवं आगामी वर्ष	शून्य

2. प्रशासन शुल्क - रू. 30/- मासिक प्रशासन शुल्क माह के प्रारम्भ में तथा 5% वार्षिक प्रत्येक पॉलिसी वर्षगाठ पर वृद्धि कर यूनिट के मूल्यानुसार उचित यूनिट की संख्या के निरस्तीकरण द्वारा कर लिया जायेगा। कंपनी के अनुभव अनुसार तथा बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के अनुमोदन पश्चात् कंपनी अपनी इच्छानुसार, प्रशासन शुल्क में वृद्धि अधिकतम रू. 100 तक प्रतिमाह कर सकती है।

3. कोष प्रबंध शुल्क- निम्न प्रारूपानुसार दैनिक आधार पर बीमाधारक के यूनिट एकाउंट से कोष प्रबंध शुल्क लिया जायेगा। इस प्रकार कोष के यूनिटों का मूल्य, की गणना, कोष प्रबंध कोष शुल्क को ध्यान में रखते हुए, की जायेगी।

कोष	सुरक्षित (सिक्योर्ड)	संतुलित (बैलेंस)	स्मार्ट	विकास (ग्रोथ)	प्राइमा
कोष प्रबंध शुल्क	कोष मूल्य का न्यूनतम 0.65 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 0.90 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 0.75 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।	कोष मूल्य का न्यूनतम 1 प्रतिशत वार्षिक तथा अधिकतम 1.25 प्रतिशत वार्षिक कंपनी के अनुभवानुसार तथा आई.आर.डी.ए. के अनुमोदन पश्चात् लिया जायेगा।

4. मृत्युदर (जोखिम वहन) शुल्क-

जोखिम वहन प्रीमियम यानि मृत्यु दर शुल्क समुचित यूनिट का निस्तीकरण करके प्रत्येक माह के आरम्भ में मासिक आधार पर जोखिम जन्म बीमा राशि पर वसूल किया जायेगा। जहाँ जोखिम जन्म बीमाराशि, बीमाधन में से अंतिम 2 वर्ष के अंतर्गत आंशिक आहरण (यदि कोई हो) तथा कोष मूल्य घटा ने पर प्राप्त होती है।

जोखिम रकम पर प्रति हजार वार्षिक मृत्यु दर शुल्क निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर	आयु	मृत्यु दर
18	1.10	38	2.07	58	13.23
19	1.15	39	2.24	59	14.34
20	1.20	40	2.46	60	15.69
21	1.24	41	2.70	61	17.27
22	1.28	42	2.90	62	19.09
23	1.31	43	3.12	63	21.13
24	1.34	44	3.40	64	23.42
25	1.36	45	3.73	65	25.94
26	1.38	46	4.13	66	27.27
27	1.39	47	4.58	67	30.74
28	1.40	48	5.09	68	34.59
29	1.40	49	5.66	69	38.85
30	1.40	50	6.29	70	43.55
31	1.41	51	6.98	71	48.75
32	1.44	52	7.73	72	54.47
33	1.50	53	8.54	73	60.77
34	1.57	54	9.41	74	67.68
35	1.66	55	10.33	75	75.27
36	1.78	56	11.32		
37	1.91	57	12.35		

विकल्प में परिवर्तन शुल्क - बीमाधारक को एक कोष निवेश विकल्प से दूसरा विकल्प अपनी इच्छानुसार चयन करने की पालिसी अवधि में सुविधा उपलब्ध है। प्रत्येक पालिसी वर्ष में 2 परिवर्तन निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। अतिरिक्त कोष-निवेश परिवर्तन - रू0 100/- प्रति परिवर्तन शुल्क पर उपलब्ध है। परिवर्तन शुल्क यूनिटों के निरस्तीकरण द्वारा वसूल किया जायेगा।

आयकर लाभ

- पालिसी में भुगतान की गई प्रीमियम आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अन्तर्गत आयकर मुक्त है।
- पालिसी में पूर्णावधि अथवा मृत्यु दावा प्राप्ति क्रमशः बीमाधारक अथवा उसके आश्रितों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा-10 (10डी) के अन्तर्गत आयकर मुक्त है। यदि किसी भी पालिसी वर्ष में प्रीमियम एवं टॉप-अप की धनराशि बीमाधन की राशि 20% से अधिक होती है तो ऐसी स्थिति में पालिसी में धारा-10(10डी) का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- भविष्य में यह लाभ आयकर अधिनियम, 1961 के नियम, जो लागू होंगे, तदानुसार प्रभावी होगी।

लाभ-उदाहरण-

एकल प्रीमियम भुगतान विधि में आयु 35 वर्ष अवधि 7 वर्ष, प्रीमियम 40,000 वार्षिक तथा बीमाधन रू0 50,000 लाभ निम्नवत हैं :-

					सकल ब्याज दर 6 प्रतिशत वार्षिक आधार पर							सकल ब्याज दर 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर							
पॉलसी वर्ष	वार्षिक प्रीमियम	प्रीमियम आंवटन शुल्क	उपलब्ध रकम निवेश हेतु (प्रीमियम)	पॉलसी प्रबंध शुल्क	कोष प्रबंधन शुल्क	अन्य शुल्क	शुल्क-योग	कोष के अतिरिक्त (यदि कोई है)	वर्ष की समाप्ति पर कोष	अभ्यपर्ण मूल्य***	मृत्यु लाभ	कोष प्रबंधन शुल्क	अन्य शुल्क	शुल्क-योग	कोष के अतिरिक्त (यदि कोई हो)	वर्ष के अंत में कोष	अभ्यपर्ण मूल्य***	मृत्यु लाभ	कमीशन/ दलाली देय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	40000	1200	38800	360.00	396.36	60.20	2016.56	0.00	40287.40	40287.40	50000.00	404.49	59.78	2024.27	0.00	41815.68	41815.68	50000.00	600.00
2	0	0	0	378.00	411.54	60.13	849.67	0.00	41829.95	41829.95	50000.00	436.02	58.13	872.16	0.00	45082.81	45082.81	50000.00	0.00
3	0	0	0	396.90	427.29	59.78	883.97	0.00	43429.78	43429.78	50000.00	470.19	55.50	922.59	0.00	48623.85	48623.85	50000.00	0.00
4	0	0	0	416.75	443.63	59.02	919.39	0.00	45089.04	45089.04	50000.00	507.23	53.00	976.97	0.00	52462.12	52462.12	52462.12	0.00
5	0	0	0	437.58	460.57	57.72	955.87	0.00	46810.33	46810.33	50000.00	547.34	56.38	1041.30	0.00	56616.85	56616.85	56616.85	0.00
6	0	0	0	459.46	478.14	55.82	993.42	0.00	48596.23	48596.23	50000.00	590.76	60.85	1111.07	0.00	61114.02	61114.02	61114.02	0.00
7	0	0	0	482.43	496.38	53.00	1031.82	0.00	50449.76	50449.76	50449.76	637.76	65.69	1185.88	0.00	65982.53	65982.53	65982.53	0.00

* उपरोक्त कोष मूल्य केवल सांकेतिक है। वास्तव में कोष मूल्य बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगा।

** मृत्यु पर बीमाधन अथवा कोष मूल्य, जो अधिक है, देय है।

*** अभ्यर्पण मूल्य की वास्तविक स्थिति के अनुसार देय होगा और वह गारंटीड नहीं है

बीमा धाारक पॉलिसी की अवधि के अंतर्गत कभी भी पॉलिसी अभ्यपर्ति कर सकता है अभ्यपर्ण तिथि पर कोष मूल्य देय है। लेकिन 5 वर्ष के अंतर्गत पॉलिसी अभ्यर्पित करने पर कोष मूल्य अभ्यपर्ण तिथि को पृथककृत कोष में हस्तांतरित कर दिया जायेगा तथा पृथक कृत कोष 3.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर ब्याज पर संग्रहित पांचवें पॉलिसी वर्ष तक होता रहेगा। पृथक कृत कोष में संग्रहित प्राप्ति पांचवें पॉलिसी वर्ष के अंत में देय है।

वैधानिक चेतावनी :

कुछ लाभ गारण्टीड हैं एवं कुछ लाभ वापसी कंपनी के भविष्य के कार्य सम्पादन पर निर्भर करते हैं। यदि आपकी पालिसी गारण्टीड लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से गारण्टीड दर्शाया जायेगा। यदि आपकी पालिसी बिना गारंटी के लाभ वापसी दर्शाती है तो उदाहरण तालिका में कंपनी के अनुमानित भविष्य निवेश पर दो भिन्न ब्याजदर पर गणना करके दिखायेगी। बीमाधारक को प्राप्त होने वाला यह अनुमानित लाभ वापसी गारण्टीड नहीं है। पालिसी में लाभ वापसी अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यह बीमा करने वाले (Insurer) की निपुणता एवं दक्षता पर निर्भर करता है कि वे कोष को किस प्रकार निवेश करते हैं जिससे अधिकतम लाभ हो। अतः लाभ वापसी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

अपवाद

आत्म-हत्या उपबन्ध :

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु इस पालिसी की तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है (चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था में या तत्समय अस्वस्थ अवस्था में) तो यह पालिसी रद्द हो जायेगी (पालिसी का अभ्यपर्ण मूल्य छोड़कर) और कंपनी इस पालिसी के अंतर्गत कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी, किन्तु इस पालिसी में बीमित व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के यर्थाथ आर्थिक हित सुरक्षित रहेंगे जो उसने किसी मूल्यवान प्रतिदान के द्वारा प्राप्त कर लिये थे और जिसकी लिखित सूचना बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के कम से कम एक माह पूर्व उस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई हो, जिसमें इस पालिसी के अंतर्गत अन्तिम प्रीमियम चुकाई गई थी।

वैधानिक-चेतावनी

बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की **धारा 41** में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है- कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पालिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पालिसी की प्रीमियम में छूट अथवा देय कमीशन का पूर्ण अथवा आंशिक भाग प्रदान नहीं करेगा एवं न ही कोई व्यक्ति इस छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमा कर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (1) का उलंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू0 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरणः

कोई भी जीवन बीमा पालिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव-पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या किसी संदर्भी या पालिसीधारक के मित्र द्वारा पालिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

फ्री लुक अवधि-

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पालिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन के अन्दर यदि वह पालिसी की शर्तों तथा अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार/असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पालिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी अनावंटित प्रीमियम राशि तथा कोष मूल्य में से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, प्रीमियम वापस पाने का अधिकारी है।

जोखिम घटक एवं चेतावनी :

1. यूनिट-लिंक्ड जीवन बीमा उत्पाद पारम्परिक जीवन बीमा उत्पाद से भिन्न है तथा जोखिम से संबन्धित है।
2. यूनिट-लिंक्ड जीवन बीमा पालिसियों में भुगतान की गई प्रीमियम पूंजी बाजार के निवेश में जोखिमों के अर्न्तनिहित है तथा यूनिटों का शुद्ध सम्पत्ति मूल्य (Net asset value) कोष सम्पादन तथा अन्य कारणों से जो पूंजी बाजार को प्रभावित करते हैं, के आधार पर ऊपर नीचे हो सकता है एवं उसका दायित्व बीमार्थी के निर्णय पर होगा।
3. सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंश कम्पनी लि. बीमा कंपनी एक नाममात्र है तथा सहारा संचित-जीवन बीमा संविदा एक नाममात्र है एवं किसी भी प्रकार से संविदा के गुण तथा भविष्य की संभावना अथवा लाभ वापसी का संकेत नहीं है।
4. कृपया बीमा अभिकर्त्ता/अन्य माध्यम/बीमाकर्त्ता के पॉलिसी प्रपत्र द्वारा संवद्धित जोखिम तथा लागू शुल्क के बारे में पूर्ण जानकारी कर लें।
5. संविदा में प्रस्तुत भिन्न कोष के नाम है वे योजना का गुणवत्ता/भविष्य सम्पादन/लाभ वापसी का सूचक नहीं है।

Saharalife/41/2010-11/BRO/Hindi

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या-
हमारा निःशुल्क टाल नं.-1800-180-9000 (भा.सं.नि.लि./म.टे.नि.लि.)
लोकल कारपोरट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं-

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020310, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 9670444427, बरेली - 9412485488, बडौदा - 9998020301, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216322898, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9711311363, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, कोलकाता - 9831692615, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9839666777, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय-वस्तु है

नोट- किसी भी वैधानिक अथवा अन्य विवाद में अंग्रेजी पैम्फलेट की भाषा ही मान्य होगी।

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, लखनऊ-226 024. फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

सहारा इंडिया परिवार

12-10 Sahara Corp Comm

SAHARA INDIA Life Insurance

सहारा संचित जीवन बीमा

UIN : 127L024V01

(एक यूनिट लिंक्ड प्लान)

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड